उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग–9

संख्या–2841 / छः–पु0–9–17–20(10)(1) / 98टी0सी0

लखनऊः दिनांकः 07 नवम्बर,2017

अधिसूचना

(शक्ति)

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या–02 सन् 1974) की धारा–21 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय, नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन,2017 के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में तैनात राज्य सरकार के समस्त विभागों के समस्त राजपत्रित अधिकारियों और अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारियों को और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन स्थानीय प्राधिकरणों और निगमों या निकायों के वेतनमान लेवल–7 रू0– 44900–142400 (पूर्व वेतन बैण्ड–2, रू0 9300–34800, पे ग्रेड रू0 4600) या उच्चतर वेतन बैण्ड का पद धारण करने वाले समस्त अधिकारियों को जनपद की शान्ति व्यवस्था के संचालन हेतु तात्कालिक प्रभाव से लेकर दिनांक 01 दिसम्बर,2017 तक की अवधि के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिन्हें विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में जाना जायेगा, नियुक्त करते हैं और ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को उक्त संहिता के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को प्रदान की जा सकने वाली समस्त शक्तियां प्रदान करते हैं, जिनका प्रयोग वे अपने–अपने जिले की सीमाओं के भीतर कर सकेंगे, जिसमें वे तत्समय तैनात हैं।

आज्ञा से,

मणि प्रसाद मिश्र

सचिव।

संख्या–2841 (1) / छः–पु0–9–17–20(10)(1) / 98टी0सी0 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि अंग्रेजी अनुवाद की प्रतिलिपि सहित, संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना को गजट के दिनांक–07 नवम्बर,2017 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग–4, खण्ड–''ख'' में प्रकाशनार्थ प्रेषित। कृपया अधिसूचना की मुद्रित 50 गजट की प्रतियां शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से

(पद्माकर शुक्ल)

अनु सचिव।

संख्या–2841 (2) / छः–पु0–9–17–20(10)(1) / 98टी0सी0 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 21 के अधीन विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन,2017 हेतु अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से दिनांक 01 दिसम्बर,2017 तक की अवधि के लिए प्रदत्त की जा रही हैं। कृपया अपने मण्डल के अधीन जनपदों के जिला मजिस्ट्रेटों को इस संबंध में अवगत कराते हुए उक्त अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत करायें।

(2) सचिव, निर्वाचन, उ0प्र0 शासन।

(3) विशेष कार्याधिकारी एवं विभागाध्यक्ष, राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या–2802 / रा0नि0आ0–3 / न0नि0 / 2017, दिनांक 29 अक्टूबर, 2017 के संदर्भ में।

(4) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

(5) समस्त जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(6) गोपन अनुभाग–2 / नियुक्ति अनुभाग–1 / 2

(7) **गृह विभाग की वेब साइड (uphome.gov.in) पर आनलाइन निर्गमन हेतु।**

(8) गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से

(पद्माकर शुक्ल)

अनु सचिव।